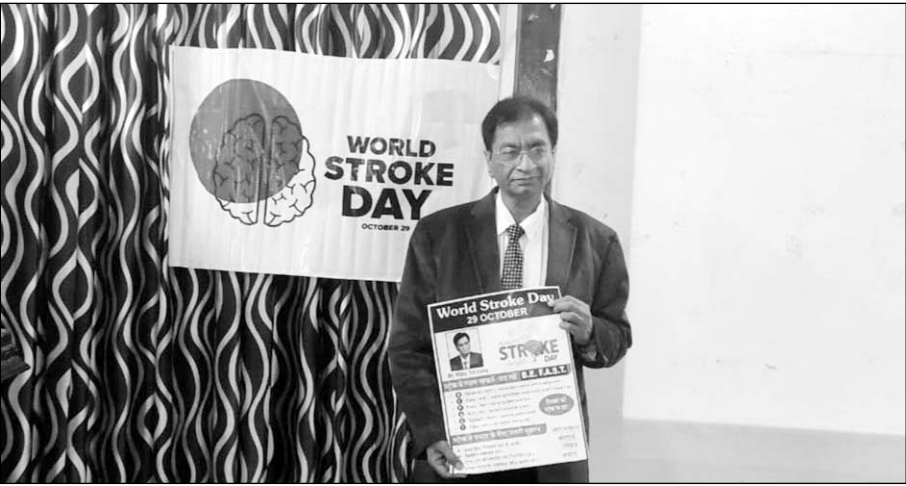


‘विश्व स्ट्रोक दिवस आज, एआई से बदल रही स्ट्रोक जागरूकता, समय पर इलाज से बच सकती हैं जिंदगियां’

कोटा, (निसं)। वर्तमान में स्ट्रोक के बढ़ते खतरे और स्ट्रोक के प्रति जागरूकता लाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई क्रांति (एआई) की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सीनियर प्रोफेसर डॉ.विजय सरदाना ने कहा कि एआई से बदल रही है स्ट्रोक जागरूकता, समय पर इलाज से बच सकती हैं जिंदगी।

उन्होंने बताया कि समय पर जागरूकता तथा उपचार से हजारों जीवन बचाए जा सकते हैं। परंतु डॉक्टर की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। डॉक्टर सरदाना ने कहा कि स्ट्रोक मस्तिष्क में दिल के दौरे जैसा होता है, जब मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति बाधित होती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं इस्केमिक स्ट्रोक (ब्लॉकिज) और हेमरेजिक स्ट्रोक (रक्तस्राव)। एक और प्रकार टीआईई (ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक) होता है, जो भविष्य के बड़े स्ट्रोक की चेतावनी देता है।

उन्होंने कहा कि हर मिनट मायने रखता है, क्योंकि देरी से पहुँचने वाले मरीजों में स्थायी मस्तिष्क क्षति का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि भारत में हर साल



न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सीनियर प्रोफेसर डॉ. विजय सरदाना ने विश्व स्ट्रोक दिवस के पोस्टर का विमोचन किया।

लगभग 12-15 लाख नए स्ट्रोक मामले सामने आते हैं। चार में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी स्ट्रोक का खतरा होता है। जबकि केवल 10 प्रतिशत मरीज ही समय पर अस्पताल पहुँच पाते हैं। स्ट्रोक अब न केवल बुजुर्गों, बल्कि कामकाजी उम्र के युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले

30 वर्षों में इसकी दर में 51 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। स्ट्रोक के कारण:- डॉ. सरदाना ने बताया कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर आहार और निष्क्रिय जीवनशैली प्रमुख जोखिम कारक हैं। रोकथाम ही सर्वोत्तम दिवस पर इस वर्ष का थीम हर मिनट

स्ट्रोक के लक्षण:- डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि स्ट्रॉक के प्रमुख लक्षणों में चेहरा टेढ़ा होना, बाँहों में कमजोरी आना, बोलने में कठिनाई होना है लक्षण सामने आने पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। डॉक्टर सरदाना ने बताया कि विश्व स्ट्रॉक दिवस पर इस वर्ष का थीम हर मिनट

महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में मंगलवार को प्राइवेट एस स्टैंड पर भव्य समारोह के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, राजसमंद की सांसद महिमा चौधरी, उदयपुर के विधायक विश्वराज सिंह, पूर्व सांसद इज्जराज सिंह, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, मधु हाड़ा व रामगंजमंडी पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल ने बटन दबाकर किया। इसके पहले मंच पर क्षेत्र के राजपूत समाज ने मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया। दिन में 3 बजे के आसपास ओम बिरला का खेराबाद पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया तथा बिरला खेराबाद से खुली पिकअप में जुलूस के साथ सभा स्थल प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचे। सभा स्थल पर क्षेत्र के आसपास के कई राजपूत समाज की महिलाएं पुरुष भी पहुंचीं। समारोह में सभी वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के आदर्शों और जीवनी पर प्रकाश डाला।

आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 8 अक्टूबर को दूर रात्रि को कुराड़ से घर के बाहर खड़ी टॉली चोरी के दर्ज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक बाबुलाल रैगर के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान व मुखबरी की सूचना पर कार्यवाही करते हुए टॉली चोरी के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी अमरपुरा निवासी जुझार सिंह (20) को गिरफ्तार किया।

आम सूचना

मेरे पक्षकार डीसीबी बैंक लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 21, झालावाड़ रोड, गुमानपुरा, कोटा (राज.) की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कान्ती बाई पत्नी सय. लक्ष्मलाल गोस्वामी निवासी महादेव मंदिर के पास, कुन्हाड़ी, कोटा (राज.) के स्वामित्व का मकान सर्व नम्बर 546, बापू नगर कच्ची बस्ती, कोटा (राज.) पर स्थित है। उक्त मकान श्रीमती कान्ती बाई एवं उनके पति श्री लक्ष्मलाल के संयुक्त स्वामित्व का था। श्री लक्ष्मलाल का स्वर्गवास दिनांक 30.05.2020 को हो जाने के पश्चात उनकी सभी संतानों द्वारा उक्त मकान में निहित अपने-अपने अधिभाषित हिस्से का हक त्याग श्रीमती कान्ती बाई के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 17.04.2023 द्वारा प्राप्त दिया है इस प्रकार उक्त मकान की एकाग्र स्वामी श्रीमती कान्ती बाई हो गयी है। श्रीमती कान्ती बाई द्वारा उक्त मकान पर मेरी पक्षकार बैंक से कर्ण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त मकान या दस्तावेज बाबत किसी भी व्यक्ति, बैंक या संस्था या अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोक्षेत्राधिकारताओं को अंदर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित संपर्क करें अन्यथा बाद जुलने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

भवदीय
राजेश्वर सिंह एडवोकेट
386, माला रोड, कोटा जं.
मो. 9829231531

आम सूचना

श्री दिनेश मित्तल पुत्र श्री कहेरूलाल मित्तल, निवासी मकान नं. 2-जी-1, महावीर नगर तुलीय कोटा द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य के मकान नं.90 (कॉरर), सुभाष नगर आवासीय योजना, कोटा (राज.) को बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटा में साम्यक बंधक रख ऋण हेतु आवेदन किया है। उक्त मकान को श्री दिनेश मित्तल द्वारा श्री रविन्द्र गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता से जारिये विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2025 द्वारा क्रय किया गया था, जिसका पंजीयन उप पंजीकृत कार्यालय, कोटा में दिनांक 18.02.2025 को हो रहा है। उक्त मकान से संबंधित असल आवेदन पत्र दिनांक 25.02.1994 एवं असल कच्चा पत्र, जो कि नगर विकास न्याय, कोटा द्वारा श्री रविन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्ता के पक्ष में जारी किया गये थे, असल उपलब्ध नहीं है एवं ग्राह होना बताया गये हैं, जिसकी संबंधित थाने में दिनांक 12.04.2024 को इन्फोर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। श्री दिनेश मित्तल द्वारा उक्त सम्पत्ति पर वर्तमान में पौचमिल फाइननेस लि. कोटा से ऋण लिया हुआ है, जिस ऋण का अन्तगार बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटा में करवा रहे है। अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित असल दस्तावेजों के संदर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो यह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में सुधे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुप्तने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा:
दिनांक: 28.10.25

राजेश्वर मंगल एडवोकेट
मकान नम्बर-322 महावीर नगर
द्वितीय कोटा (राज.)
मो. 94148-02953

कोटा, (निसं)। यूथ कांग्रेस राजस्थान द्वारा कल प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई जिसमें कोटा के स्वप्निल शर्मा को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। स्वप्निल शर्मा ने बताया कि यंग इंडिया के बोल नान से युवाओं की आवाज मुखर करने के लिए कांग्रेस ने एक कार्यक्रम चलाया था उसमें पूरे राजस्थान से युवाओं ने भाग लिया था। जिसमें उन्होंने द्वितीय जमीनी स्तर पर कांग्रेस की सोच लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोटा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस अवसर

**स्वप्निल शर्मा**

पर खुशी जताई और यूथ कांग्रेस के इस निर्णय को सराहा तथा माला पहनाकर स्वप्निल शर्मा का स्वागत किया।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने की जनसुनवाई, कई मामलों का निस्तारण किया

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाको में पीड़ितों के मामलों को सुनने के लिये ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने ग्रामीण इलाके के इटावा क्षेत्र में जनसुनवाई की एवं कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर इटावा क्षेत्र के परिवारियों के लिये इटावा थाना स्तर पर जनसुनवाई की गई।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि कई परिवारियों के परिवादो का मौके पर जनसुनवाई कर निस्तारण किया गया एवं कुछ परिवारों के निस्तारण के लिये कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ग्रामीण एसपी ने मौके पर मौजूद आमजनो को सीधे शिकायत दर्ज कराने के लिये एसपी हेल्पलाइन वॉट्सएप सीयूजी मोबाईल नम्बर 8764520202 की जानकारी भी दी गई। ग्रामीण एसपी ने परिवारियों को उनकी समस्याओं के पूर्ण निस्तारण का आश्वासन दिया।



ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने इटावा क्षेत्र में परिवारियों के परिवाद सुने।

ग्रामीण एसपी की जनसुनवाई के दौरान पुलिस उप अधीक्षक शिवम जोशी, इटावा थानाधिकारी संदीप बिश्नोई, अयाना थाने के उपनिरीक्षक

थानाधिकारी उम्मेदसिंह, खातौली थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी मनसौराम, बुढादीत थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नन्दलाल,

■ स्ट्रोक जागरूकता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई क्रांति

महत्वपूर्ण है, इसलिए समय पर इलाज करवाने से विकलांगता को कम किया जा सकता है।

स्ट्रोक देखभाल में एआई की भूमिका:- डॉक्टर सरदाना ने बताया कि एआई आधारित सिस्टम अब स्ट्रोक पहचान, शिक्षा और पुनर्वास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चैट जीपीटी और जैमिनी जैसे चैटबॉट्स लोगों को स्ट्रोक के लक्षण, जोखिम कारक और बचाव उपायों के बारे में सरल भाषा में समझाते हैं।

कोटा मेडिकल कॉलेज की पहल:- डॉ. सरदाना ने कहा कि "हमारा लक्ष्य है कि कोई भी मरीज स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करे। सही समय पर सही जानकारी मस्तिष्क को बचा सकती है।" एआईएमसीआर का राष्ट्रीय स्ट्रॉक रजिस्ट्री का सेंटर राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा है जहां डेटा संग्रहण का कार्य किया जाता है, देश में लगभग 5 ही ऐसे सेंटर हैं।

डोडा-चूरा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रानपुर पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान नशे के खिलाफ चल रहे अभियान ऑपरेशन गुरुद्वयूह के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। रानपुर थानाधिकारी रामविलास मौणा ने बताया कि थाने के उपनिरीक्षक भीमसिंह मय जाता इलाके में गश्त के दौरान टीम लेकर नेशनल हाईवे के पास बने ढाबों के पास होते हुए केबल नगर बस स्टैण्ड के पास पहुंचे, जहां बस स्टैण्ड पर खड़ा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर घबराकर जाने लगा। थानाधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने संदेह होने पर मौके पर व्यक्ति को रोककर डिटेन कर उसके पीछू बैग को तलाशी ली तो बैग से अवैध मादक पदार्थ 765 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए जिला जोषपुर के नांव मियासनी बिरामी निवासी पुखराज (35) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है।

■ आईओक्यूएम में एलन के कुल 1198 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की

1198 विद्यार्थी शामिल हैं। आईओक्यूएम परीक्षा पूरे भारत में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर 7 और 28 सितंबर को आयोजित की गई थी। अब 16 नवंबर को आरएमओ का आयोजन किया जाएगा।

आरएमओ के बाद आईएनएमओ और ओसीएससी कैम्प आयोजित किया जाता है। कैम्प में प्रदर्शन के आधार पर 5 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया जाता है, जो इंटरनेशनल मैथेमेटिकल ओलम्पियाड (आईएमओ-2026) में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस बार आईएमओ-2026 का आयोजन शंघाई, चीन में होगा।

आरपीएफ की तत्परता से यात्री को खोया बैग मिला

कोटा, (निसं)। रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी वस्तुओं की देखरेख के प्रति पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल का रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) लगातार संवेदनशीलता का परिचय दे रहा है। "ऑपरेशन अमानत" अभियान के तहत आरपीएफ पोस्ट कोटा ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन संख्या 12904 एक्सप्रेस में यात्रियों द्वारा भूलवश छोड़े गए दो बैगों को सुरक्षित रूप से उनके स्वामी तक पहुंचाया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि आरपीएफ

कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन संख्या 12904 एक्सप्रेस के कोच क्रमांक एस-02 की सीट संख्या 31 पर एक यात्री का पिड्डू बैग और एक जिम बैग रह गया है।

सूचना मिलते ही आरपीएफ कंट्रोल रूम कोटा ने "रेल मदद" प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्रवाई प्रारंभ की। ट्रेन के कोटा स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ के प्रधान आरक्षक महेंद्र मीणा ने संबंधित कोच की तलाशी ली, जिसमें दोनों बैग सुरक्षित बरामद कर लिए गए। दोनों बैगों को आरपीएफ पोस्ट कोटा में जमा कर

लिया गया और यात्री से संपर्क स्थापित किया गया। सूचना मिलने पर यात्री के भाई अंकुश कुमार जैन (दिल्ली निवासी) कोटा पहुंचे। आरपीएफ अधिकारियों की उपस्थिति में दोनों बैग खोले गए, जिनमें कपड़े और जिम का सामान सुरक्षित पाया गया। उपनिरीक्षक अंबेश कुमार गौतम द्वारा सत्यापन के उपरांत, गवाहों की मौजूदगी में दोनों बैगों को सुपुर्दगी नामे के तहत यात्री के भाई को सौंप दिया गया। बरामद वस्तुओं की कुल कीमत लगभग 15,000/- आंकी गई।

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा (वर्ष 2011 की रिट याचिका (रिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंस्ट्रेट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)				फॉर्मेट सी-1
अभ्यर्थी का नाम और पता	:	प्रमोद जैन, निवासी ग्राम बटावादा, तहसील व जिला बारां (राज.)		
राजनैतिक दल का नाम	:	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (I.N.C.)		
(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)	:	लागू नहीं होता		
निर्वाचन का नाम	:	193- अन्ता		
निर्वाचन क्षेत्र का नाम	:	193- अन्ता, राजस्थान		

में प्रमोद जैन (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे निम्नलिखित विवरणों की घोषण करता है :-

(क)	संबंधित आपराधिक मामले			
क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 08/2024 दिनांक 03.01.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 384, 413, 426, 379, 120बी IPC And 4/21 MMRD ACT धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना एवं खान और खनिज का उल्लंघन कर परिवहन करना।
2	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 268/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		341, 382, 506, 120B IPC चोरी करने के उद्देश्य से चोरी करके भाग जाना।
3	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 271/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		384, 34 IPC जबरन वसूली करना।
4	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 272/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 409, 467, 468, 471, 120बी IPC चोरी की सम्पत्ति का व्यापार करना।
5	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 509/2024 दिनांक 28.06.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 409, 467, 468, 408, 379, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
6	लागू नहीं है	पुलिस थाना अन्ता एफ आई आर नं. 02/2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत दिनांक 01.01.2024 नोट : एफ आई आर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 406, 467, 468, 471, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
7	लागू नहीं है	आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 नोट : एफ आई आर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 467, 468, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
8	लागू नहीं है	पुलिस थाना अन्ता एफ आई आर नं. 205/2024 दिनांक 08.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत		143, 283, 188 IPC सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने के सम्बन्ध में।
(ख)	आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण			
क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खं)	अपराध (अपराधों) और अधिरुपित दण्ड का विवरण		अधिकतम अधिरुपित दंड
1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
5	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
7	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
8	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

राज्य सभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

RIISING™
RAJASTHAN
REFLETE • RESPONSIBLE • READY

प्रत्यक्ष आवंटन योजना - 2025

राइजिंग राजस्थान में MoU करने वाले निवेशकों के लिए भूखण्ड के आरक्षित मूल्य पर

औद्योगिक भूखण्डों का डायरेक्ट अलॉटमेंट छठा चरण

ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 30.10.2025 (प्रातः 10:00 बजे) से 13.11.2025 (सायं 6 बजे) तक आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

नियोजित लॉजिस्टिक भूखण्डों का आवंटन आरक्षित मूल्य पर ई-लॉटरी 18 नवंबर, 2025

100
औद्योगिक क्षेत्र

5,971
कुल औद्योगिक भूखण्ड

5,933
अनारक्षित भूखण्ड

38
लॉजिस्टिक भूखण्ड

विभिन्न श्रेणियों / वर्गों के लिए आरक्षित भूखंड

221अवसुचित ज़ात/जनजाति

220 महिला वर्ग

115 भूगर्भ सैलिक

144 वैद्यार्क दिव्यांगता

66 सरास्य बली/अर्ध सैलिक बल के सुगत के आश्रित

आवंटन की प्रक्रिया

एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन

EMD - भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाइन जमा।

पात्रता - निवेशक जिन्होंने **14/10/2025** तक राइजिंग राजस्थान में राज्य सरकार के साथ एमओयू किये हैं वे सभी इस योजना में भूखण्ड के लिए पात्र हैं।

भूखण्ड की राशि का भुगतान

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान या

RIICO की टर्म लोन स्क्रीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ

औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित लॉजिस्टिक भूखण्डों के आवंटन से संबंधित पॉलिसी riico.raajasthan.gov.in पर देखें।

इस योजना के तहत भूखण्ड देखने या आवेदन करने के लिए <https://riico.raajasthan.gov.in> पर दिए गए Direct Land Allotment लिंक पर क्लिक करें अथवा SSO Portal पर login के बाद RIICO के आइटन पर क्लिक करके Land Allotment पर जाएं और Direct Land Allotment Policy - 2025 (for RR MoU Holders) पर क्लिक करें।

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर 302005

हेल्पलाइन नंबर : 0141 4593250, 4593237 | वाट्सएप : +91 90013 06515 | ई-मेल : riico@riicoa.co.in
riico.raajasthan.gov.in | riicogis.raajasthan.gov.in |

राज्य संघर्ष / सी / 25 / 12805

राज्य संघर्ष / सी / 25 / 12805